फा. सं. 1501/2/2002-टीवी (I) (पार्ट)

भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देश

नई दिल्ली,
दिनांक : 2 दिसम्बर, 2005

प्रस्तावना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 2000 में "भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देशों" को अधिसूचित किया था। इसके बाद "भारत से समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों संबंधी टीवी चैनलों की अपलिंकिंग" हेतु दिशानिर्देशों को मार्च 2003 में अधिसूचित किया, जिनमें अगस्त 2003 में संशोधन किया गया एवं मई 2003 में "एसएनजी/डीएसएनजी के प्रयोग हेतु दिशानिर्देशों" को तथा दिनांक 1.4.2005 को अपलिंकिंग दिशानिर्देशों में परिशिष्ट को जोड़ा गया। सरकार ने 20 अक्तूबर, 2005 को इन दिशानिर्देशों में और संशोधन किए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी दिशानिर्देशों को एक सेट के रूप में एकत्रित करके अधिसूचित किया जाना चाहिए। तदनुसार, सभी पूर्व दिशानिर्देशों के स्थान पर सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संयुक्त अपलिंकिंग दिशानिर्देशों को जारी करती है। ये दिशानिर्देश आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 से प्रभावी होंगे तथा मौजूदा चैनलों पर भी लागू होंगे।

सामान्य

अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना करने या किसी टीवी चैनल को अपलिंक करने या समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंक सुविधा की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में एक पंजीकृत कंपनी के तौर पर होना चाहिए।

1. अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट्स की स्थापना हेतु अनुमति

1.1 पात्रता मानदण्ड

1.1.1 आवेदक कंपनी में, एनआरआई/ओसीबी/पीआईओ सहित विदेशी इक्विटी शेयर धारिता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1.1.2 कंपनी के पास नीचे निर्धारित न्यूनतम निवल पूंजी होनी चाहिए :

मद	आवश्यक निवल पूंजी
एकल चैनल क्षमता हेतु टेलीपोर्ट	1.00 करोड़ रू.
6 चैनल क्षमता हेतु टेलीपोर्ट	1.50 करोड़ रू.
10 चैनल क्षमता हेतु टेलीपोर्ट	2.50 करोड़ रू.
15 चैनल क्षमता हेतु टेलीपोर्ट	3.00 करोड़ रू.

1.2 अनुमति की अवधि

1.2.1 अनुमति 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की जाएगी।

1.3 शुल्क

1.3.1 आवेदक को प्रक्रिया शुल्क के रूप में दस हजार रू. की राशि का भुगतान करना होगा।

1.3.2 पात्र घोषित किए जाने के बाद आवेदक कंपनी को 5 लाख रू. प्रति टेलीपोर्ट की दर से अनुमति शुल्क का भुगतान करना होगा।

1.4 विशेष शर्तें/बाध्यताएं

1.4.1 कंपनी केवल उन्हीं टीवी चैनलों को अपलिंक करेगी जिनके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत से अपलिंकिंग हेतु विशेष तौर पर अनुमोदन या अनुमति प्रदान की गई है।

1.4.2 कंपनी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसी चैनल की अनुमति/अनुमोदन वापस लिए जाने पर उन टीवी चैनलों की अपलिंकिंग का कार्य रोक देगी।

1.4.3 आवेदक कंपनी नीचे पैरा 5 में निर्धारित किए गए सामान्य नियमों एवं शर्तों की अनुपालना करेगी।

2. किसी गैर-समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों संबंधी टीवी चैनल की अपलिंकिंग हेतु अनुमति

(नोट : इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यार्थ, किसी गैर-सामचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों संबंधी टीवी चैनल का अर्थ है एक ऐसा चैनल जिसकी कार्यक्रम विषय-वस्तु में

समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों का कोई भाव न हो)

2.1 पात्रता मानदण्ड

2.1.1 आवेदक कंपनी, इसके स्वामित्व, इक्विटी ढांचा या प्रबंधन नियंत्रण पर विचार किए बिना, अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

2.1.2 कंपनी के पास नीचे निर्धारित न्यूनतम निवल पूंजी होनी चाहिए :

मद	आवश्यक निवल पूंजी
एकल टीवी चैनल	1.50 करोड़ रू.
प्रत्येक अतिरिक्त टीवी चैनल हेतु	1.00 करोड़ रू.

2.2 अनुमति की अवधि

2.2.1 अनुमति 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

2.3 शुल्क

2.3.1 आवेदक को प्रक्रिया शुल्क के रूप में 10 हजार रू. की राशि का भुगतान करना होगा।

2.3.2 पात्र घोषित किए जाने के उपरांत, आवेदक कंपनी को प्रति चैनल के लिए 5 लाख रू. की दर से अनुमति शुल्क का भुगतान करना होगा।

2.4 विशेष शर्तें/बाध्यताएं

2.4.1 आवेदक कंपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित डाऊनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक चैनल के लिए पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

2.4.2 अपलिंक की अनुमति प्रदान की गई आवेदक कंपनी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई तारीख से एक वर्ष के भीतर चैनल को संचालित करेगी; ऐसा न करने पर सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद अनुमति को वापस लिया जा सकता है।

2.4.3 टीवी प्रसारण अधिकारों वाले खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंधन कंपनियों को भारत या विदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महत्व की राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की प्रसारण सामग्री को निम्नलिखित शर्तों के तहत क्षेत्रीय प्रसारण और डीटीएच (फ्री-टू-एयर) प्रसारण हेतु तुरंत प्रभाव से प्रसार भारती को उपलब्ध करवाना होगा :

i) राष्ट्रीय महत्व की स्पर्धाओं का निर्धारण सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, प्रसार भारती तथा अन्य संबंधित खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंधन कंपनियों के साथ परामर्श से किया जाएगा। क्रिकेट स्पर्धाओं के मामले में, इनमें भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैच तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच शामिल होंगे।

ii) उपरोक्त शर्तें मौजूदा प्रसारण अधिकारों के अनुबंधों में शामिल की गई स्पर्धाओं सहित भविष्य में होने वाली सभी स्पर्धाओं पर लागू होंगी। तथापि, उन क्रिकेट स्पर्धाओं के मामले में जिनके प्रसारण अधिकार खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंधन कंपनियों द्वारा अधिकार धारकों के मामले में अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं, उन्हें भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैचों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के फाइनल मैचों की प्रसारण सामग्री को प्रसार भारती के साथ बॉंटना होगा।

iii) प्रसार भारती प्रसारण सामग्री को अपने क्षेत्रीय चैनल और क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित और/या सेटेलाइट/डीटीएच मोड के माध्यम से संचालित चैनल पर फ्री-टू-एयर रूप से प्रसारित करेगी।

iv) स्पर्धाओं के अधिकारों की मार्केटिंग (क्षेत्रीय तथा सेटेलाइट/डीटीएच) का निर्णय प्रसार भारती तथा अधिकार धारी के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। मार्केटिंग अधिकार उस पार्टी को दिए जाने चाहिए जो राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हो।

v) बिना किसी न्यूनतम गारंटी/अवसर लागत के अधिकार धारी के पक्ष में 75:25 का राजस्व हिस्सेदारी फार्मूला लागू किया जाना चाहिए।

किसी भी विवाद की स्थिति में, मामला सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा मध्यस्थों के अनुमोदित पैनल में से नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

2.4.4 आवेदक कंपनी को नीचे पैरा 5 में निर्धारित की गई सामान्य शर्तों एवं नियमों की अनुपालना करनी होगी।

3. किसी समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों के टीवी चैनल की अपलिंकिंग हेतु अनुमति

(नोट : इन दिशानिर्देशों के उद्देश्यार्थ, समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों के टीवी चैनल का अर्थ है एक ऐसा चैनल जिसकी कार्यक्रम विषय वस्तु में समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों का भाव हो)

3.1 पात्रता मानदण्ड

3.1.1 एफडीआई/एफआईआई/एनआरआई निवेशों सहित विदेशी इक्विटी धारिता आवेदक कंपनी द्वारा पूर्ण भुगतान की गई इक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, जैसाकि भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम, 1997 में परिभाषित किया गया है, एफआईआई/एनआरआई जमा के रूप में इन्टिटि मेकिंग पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट को एफडीआई निवेशकों के साथ **"पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट"** के तौर पर नहीं समझा जाएगा। चैनल अपलिंक की अनुमति प्रदान की गई कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर अपने कंपनी सचिव के माध्यम से इस आवश्यकता की सतत् अनुपालना को प्रमाणित करना होगा।

3.1.2 केवल उन मामलों में ही अनुमति प्रदान की जाएगी जहाँ सबसे बड़े भारतीय शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी कुल इक्विटी का कम से कम 51 प्रतिशत हो, परंतु इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की नवीन अस्तित्व की धारा 4क में परिभाषित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित इक्विटी को शामिल नहीं किया जाएगा। इस खण्ड में प्रयुक्त शब्द सबसे बड़े

भारतीय शेयर धारक में निम्नलिखित में से किसी एक या एक समूह को शामिल किया जाएगा :

(1) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में,

(क) व्यक्तिगत शेयरधारक।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों के तहत शेयरधारक का कोई संबंधी।

(ग) कोई कंपनी/कंपनियों का समूह जिसमें उससे संबंधित व्यक्तिगत शेयरधारक/एचयूएफ का प्रबंधीय तथा नियंत्रण करने का कोई हित हो।

(2) किसी भारतीय कंपनी के मामले में,

(क) भारतीय कंपनी।

(ख) एक ही प्रबंध तथा स्वामित्व नियंत्रण के तहत भारतीय कंपनियों का एक समूह।

इस खण्ड के उद्देश्यार्थ "भारतीय कंपनी" एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें आवयक रूप से भारतीय निवासी या जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956/एचयूएफ की धारा 6 के अंतर्गत परिभाषित उसका संबंधी हो, जो या तो एकल रूप में या संयुक्त रूप से कम से कम 51 प्रतिशत शेयरों का धारी हो।

बशर्ते उपरोक्त उप-खण्डों (1) तथा (2) में वर्णित किसी भी इंटिटी या सभी इंटिटी को संयुक्त करने के मामले में, प्रत्येक पार्टी ने आवेदक कंपनी के मामलों का प्रबंध करने में एक एकल इकाई के तौर पर कार्य करने का एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी करार किया हो।

3.1.3 आवेदक कंपनी की विदेशी इक्विटी की गणना करते समय आवेदक कंपनी की भारतीय शेयरधारक कंपनियों की इक्विटी में यदि कोई विदेशी धारी संघटक हो तो उसकी समानुपात आधार पर यथा गणना की जाएगी ताकि आवेदक कंपनी में कुल विदेशी धारित की गणना की जा सके। तथापि, किसी वर्ष 31 मार्च को किसी

कंपनी में अप्रत्यक्ष एफआईआई पर विदेशी धारिता की समानुपात गणना के उद्देश्यार्थ विचार किया जाएगा।

3.1.4 कंपनी को आवेदन के समय शेयरधारकों के समझौतों, ऋण समझौतों तथा ऐसे अन्य समझौतों जिनकों अंतिम रूप दिया जा चुका है या जिनकों किया जाना प्रस्तावित है, का पूरा प्रकटीकरण करना होगा। इनमें बाद में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, किसी भी परिवर्तन के 15 दिन के भीतर, जारी समझौतों पर प्रभाव सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना होगा।

3.1.5 कंपनी की तरफ से कंपनी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, ऐसे परिवर्तनों के 15 दिन के भीतर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक होगा। शेयरधारिता प्रणाली में परिवर्तन करते समय, यह उपरोक्त खण्ड 3.1.1 तथा 3.1.2 की सतत् अनुपालना को जारी रखेगी।

3.1.6 आवेदक को कंपनी के निदेश बोर्ड में शामिल किए जाने वाले सभी व्यक्तियों, जो भारतीय निवासी नहीं है, के नाम तथा पूरे विवरण के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा।

3.1.7 कंपनी को कंपनी में या तो परामर्शक (या अन्य किसी दूसरे पद पर), वर्ष में 60 से अधिक दिन तक या नियमित कर्मचारी के तौर पर शामिल किए जाने वाले/नियुक्त किए जाने वाले किसी विदेशी/गैर-प्रवासी भारतीयों के नामों तथा पूरे विवरण के बारे में सूचित करना होगा।

3.1.8 कंपनी के निदेशक बोर्ड में तथा अन्य सभी मुख्य कार्यकारी पदों एवं संपादकीय कर्मचारियों के पदों पर कम से कम ¾ व्यक्ति भारतीय निवासी होने चाहिए।

3.1.9 कंपनी के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो शेयरधारिता के समानुपात में होना चाहिए।

3.1.10 महत्वपूर्ण व्यक्तियों (कार्यकारी एवं संपादकीय) की सभी नियुक्तियॉं आवेदक कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी, भारतीय या विदेशी, के संदर्भ के बिना की जाएगी।

3.1.11 आवेदक कंपनी का आवश्यक रूप से संपूर्ण प्रबंध नियंत्रण, संचालनात्मक स्वतंत्रता तथा अपने संसाधनों एवं परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए तथा इसके पास समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों पर टीवी चैनल को संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुदृढ़ता होनी चाहिए।

3.1.12 आवेदक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाए, और/या चैनल का अध्यक्ष भारतीय निवासी होना चाहिए।

3.1.13 कंपनी के पास नीचे निर्धारित न्यूनतम निवल पूंजी होनी चाहिए :

मद	आवश्यक निवल पूंजी
एकल टीवी चैनल	3.00 करोड़ रू.
प्रत्येक अतिरिक्त टीवी चैनल हेतु	2.00 करोड़ रू.

3.2 अनुमति की अवधि

3.2.1 अनुमति 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

3.3 शुल्क

3.3.1 आवेदक को प्रक्रिया शुल्क के रूप में दस हजार रूपये का भुगतान करना होगा।

3.3.2 पात्र घोषित किए जाने के बाद, आवेदक कंपनी को 5 लाख रूपये प्रति चैनल की दर से अनुमति शुल्क का भुगतान करना होगा।

3.4 विशेष शर्तें/बाध्यताएं

3.4.1 प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर लाइव न्यूज़/फुटेज एकत्रण या प्रसारण हेतु सुविधाओं/अवसंरचनाओं के उपयोग की अनुमति केवल उन्हीं चैनलों को ही दी जाएगी जिनका भारत से अपलिंक किया जाता है। अनुमति/वीएसएटी/आरटीटीएस/सैटेलाइट वीडियो फोन तथा इसी प्रकार की अन्य अवसंरचनाओं, जिनका उपयोग अपलिंकिंग/प्रसारण के उद्देश्यार्थ विषय-वस्तु के प्वाइंट टू प्वाइंट हस्तांतरण के लिए किया जाता है, के संबंध में इस नीति का

तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएगें।

3.4.2 चैनल/कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम विषय-वस्तु प्रदाता, यदि कोई हो, प्रेस सूचना ब्यूरो से प्रत्यायित हैं। केवल ऐसे प्रत्यायित विषय-वस्तु प्रदाता ही समाचार/फुटेज के प्रसारण हेतु उपकरण/मंच का प्रयोग कर सकेंगे।

3.4.3 कंपनी/चैनल को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथा प्राधिकृत तथा अनुमत्य हैं, या इसकी विषय-वस्तु प्रदाता, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथा प्राधिकृत उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं।

3.4.4 कंपनी की तरु से कंपनी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले परिवर्तनों, ऐसे परिवर्तनों के 15 दिनों के भीतर, के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक होगा। शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन करते समय कंपनी उपरोक्त खण्ड 3.1.1 तथा 3.1.2 की सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करेगी।

3.4.5 कंपनी/चैनल को इसके द्वारा 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक किसी विदेशी/गैर प्रवासी भारतीयों को नौकरी देने/शामिल करने के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना होगा।

3.4.6 आवेदक कंपनी को निम्न पैरा 5 तथा उपरोक्त पैरा 2.4.1 से 2.4.3 में दिए गए सामान्य नियमों एवं शर्तों की अनुपालना करनी होगी।

4. भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग हेतु अनुमति

4.1 पात्रता मानदण्ड

4.1.1 आवेदक कंपनी प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा प्रत्यायित होनी चाहिए।

4.1.2 आवेदक कंपनी 100 प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली तथा भारतीय प्रबंध नियंत्रण वाली होनी चाहिए।

4.2 अनुमति की अवधि

4.2.1 अनुमति की अवधि डब्ल्यूपीसी लाइसेंस के अनुसार होगी।

4.3 विशेष शर्तें/बाध्यताएं

4.3.1 कंपनी अपलिंकिंग का प्रयोग केवल समाचारों के एकत्रण तथा अन्य समाचार एजेंसियों/प्रसारकों को इसके आगे वितरण के लिए करेगी।

4.3.2 कंपनी जनता द्वारा सीधे रूप से प्राप्त करने हेतु टीवी कार्यक्रमों/चैनलों को अपलिंक नहीं करेगी।

4.3.3 आवेदक कंपनी नीचे पैरा 5 में दिए गए सामान्य नियमों एवं शर्तों की अनुपालना करेगी।

5. सामान्य नियम एवं शर्तें

5.1 कंपनी या तो सी या केयू बैण्ड में अपलिंक कर सकती है। सी बैण्ड में अपलिंकिंग की अनुमति भारतीय तथा विदेशी सेटेलाइट्स दोनों को ही होगी। तथापि, भारतीय सेटेलाइट्स के प्रयोग की अभिकल्पना वाले प्रस्तावों को तरजीह के आधार पर निपटाया जाएगा। दूसरी तरफ, केयू बैण्ड में अपलिंकिंग की अनुमति केवल भारतीय सेटेलाइट्स के माध्यम से ही होगी, परंतु यह अनुमति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि इस अनुमति का उपयोग बिना उपयुक्त लाइसेंस के डीटीएच सेवाओं को चलाने/संचालित करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अलग से दिशानिर्देश लागू होते हैं। प्रयोग किए जाने वाले सैटेलाइट का इनसेट प्रणाली के साथ सही तालमेल किया गया हो।

5.2 कंपनी को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्धारित किए गए कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोड की अनुपालना करनी होगी।

5.3 कंपनी अपलिंक की गई विषय-वस्तु का रिकार्ड 90 दिनों तक रखेगी तथा जब कभी भी आवश्यक होगा इसे सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

5.4 कंपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सूचनाओं को उपलब्ध करवाना होगा।

5.5 कंपनी/चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा, जब कभी भी आवश्यक होगा, कार्यक्रमों या विषय-वस्तु के अनुवीक्षण हेतु अपनी स्वयं की लागत पर आवश्यक अनुवीक्षण सुविधा प्रदान करनी होगी।

5.6 जब कभी भी आवश्यक होगा कंपनी सरकारी एजेंसियों को सुविधाओं के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करेगी।

5.7 कंपनी डब्ल्यूपीसी विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वायरलेस संचालन लाइसेंस की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करेगी।

5.8 कंपनी अनुमति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान यथा लागू पात्रता को सतत् रूप से सुनिश्चित करेगी तथा अनुमति की सभी शर्तों एवं नियमों की अनुपालना करेगी, ऐसा करने में विफल रहने पर कंपनी नीचे पैरा 8 में विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगी।

5.9 भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सार्वजनिक हित या इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक विनिर्दिष्ट समय के लिए कंपनी की अनुमति को लंबित करने का अधिकार होगा। कंपनी इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों की तत्काल अनुपालना करेगी।

5.10 कंपनी की तरु से सीईओ/निदेशक बोर्ड में कोई भी परिवर्तन किए जाने से पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. सी बैण्ड तथा केयू बैण्ड में एनएनजी/डीएसएनजी उपकरणों के उपयोग हेतु अनुमति

6.1 भारत से अपलिंक किए गए समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम वाले चैनलों को लाइव न्यूज/फुटेज एकत्रण तथा प्वाइंट-टू-प्वाइंट प्रसारण के लिए एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

6.2 अनुमति प्रदान किए गए समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम वाले चैनलों के पीआईबी प्रत्यायित विषय-वस्तु प्रदाता, यदि कोई हों, समाचार/फुटेज के संग्रह/प्रसारण हेतु एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग कर सकते हैं।

6.3 वे मनोरंजन चैनल जो अपने स्वयं के टेलीपोर्ट से अपलिंकिंग कर रहे हैं, अपने अनुमोदित चैनलों हेतु अनुमत्य टेलीपोर्ट को वीडियो सामग्री के हस्तांतरण हेतु एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग कर सकते हैं।

6.4 सभी विदेशी चैनलों, भारत से अपलिंक किए गए अनुमति प्राप्त मनोरंजन चैनलों तथा उपरोक्त 6.1, 6.2 तथा 6.3 में शामिल न की गई कंपनियों/व्यक्तिगत चैनलों को किसी भी लाइव कवरेज/फुटेज संग्रहण तथा मामले दर मामले आधार पर प्रसारण हेतु एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने के लिए अस्थायी अपलिंकिंग अनुमति प्राप्त करनी होगी।

6.5 केवल अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट संचालक तथा दूरदर्शन उन अन्य प्रसारकों को एसएनजी/डीएसएनजी उपकरणों/अवसंरचनाओं की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं/किराए पर दे सकते हैं, जिन्हें भारत से अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त है।

6.6 अपलिंकिंग इनक्रिप्टिड मोड में की जानी चाहिए ताकि यह केवल एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप में ही प्राप्त की जा सके। सिग्नल केवल लाइसेंसधारी के अनुमत्य टेलीपोर्ट पर ही डाऊनलिंक किए जाने चाहिए तथा केवल उसी टेलीपोर्ट के माध्यम से अनुमत्य सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण हेतु किए जाने चाहिए।

6.7 एसएनजी/डीएसएनजी का उपयोग करने की आकांक्षा रखने वाली प्रत्येक कंपनी/चैनल को ऐसा करने से पहले अनुमति प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन करना होगा।

6.8 एसएनजी/डीएसएनजी से अपलिंकिंग केवल एससीपीसी मोड (एक समय पर एसएनजी/डीएसएनजी से केवल सिग्नल सामग्री अपलिंक की जा सकती है) में होनी चाहिए।

6.9 चैनल को इस बावत एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एसएनजी/डीएसएनजी के माध्यम से एकत्रित की गई सामग्री कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोड के अनुरूप होनी चाहिए।

6.10 एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों/रीजन्स/राज्यों में करने की अनुमति होगी जिन पर गृह मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर रोक नहीं लगाई गई है।

6.11 कंपनी को एसएनजी/डीएसएनजी टर्मिनल्स की खरीद के दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा तथा विभिन्न स्थलों पर इन टर्मिनल्स की स्थापना के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना होगा।

6.12 अनुमति की अवधि :

(क) टेलीपोर्ट मालिकों के लिए – टेलीपोर्ट लाइसेंस की समाप्ति के साथ।

(ख) अनुमत्य समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम वाले चैनलों हेतु – चैनल की अनुमति की अवधि हेतु।

(ग) अनुमत्य चैनलों के विषय-वस्तु प्रदाताओं हेतु – चैनल की अनुमति की अवधि हेतु।

(घ) अस्थायी अपलिंकिंग अनुमति वाले अन्य प्रसारकों हेतु – उस अवधि के लिए जिसे अस्थायी अपलिंकिंग अनुमति में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6.13 एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त कंपनी को डब्ल्यूपीसी के फ्रीक्वेंसी प्राधिकार हेतु डब्ल्यूपीसी को आवेदन करना होगा। इसका समय पर वार्षिक तौर पर नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा इसकी एक प्रति प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6.14 अनुमत्य कंपनी को उन स्थलों तथा स्पर्धाओं का नित्य रिकार्ड रखना होगा जिन्हें एसएनजी/डीएसएनजी टर्मिनल द्वारा अपलिंक तथा कवर किया गया है तथा उन्हें अपने मुख्य सैटेलाइट भू-स्टेशन पर डाऊनलिंक किया गया है तथा इन्हें जब कभी भी आवश्यक होगा लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसमें गृह मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6.15 अनुमत्य कंपनी रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश नहीं करेगी।

6.16 इन उपकरणों को सुरक्षा की दृष्टि से घेराबंदी किए गए क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाएगा।

6.17 एसएनजी/डीएसएनजी का उपयोग करने की इच्छा रखने वाली कंपनी/चैनल को एक शपथ-पत्र देना होगा कि इसका प्रयोग केवल सुरक्षित रखने के लिए लाइव समाचार संग्रह तथा फुटेज संग्रह के लिए किया जाएगा।

6.18 उपरोक्त शर्तों एवं नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग करने के लिए प्रदान की गई अनुमति को निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा।

6.19 अनुमति प्रदान करने वाला प्राधिकरण जब कभी आवश्यक समझे, निर्धारित की गई शर्तों को आशोधित कर सकता है या उनमें नई शर्तों का जोड़ सकता है।

6.20 केयू बैण्ड में एसएनजी/डीएसएनजी का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डीटीएच संचालन हेतु नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी प्रयोग करने पर लाइसेंस/अनुमति को समाप्त कर दिया जाएगा।

6.21 केयू बैण्ड में एसएनजी/डीएसएनजी संचालन हेतु प्रयुक्त अपलिंकिंग डिश 2 मीटर से अधिक नहीं होगी।

7. अस्थायी अपलिंकिंग हेतु अनुमति

7.1 थोड़े समय अवधि के विशेष कार्यक्रम/घटना हेतु बाहर से अपलिंक किए गए चैनलों द्वारा फुटेज/समाचारों के संग्रह हेतु सभी उपकरणों/मंचों के प्रयोग करने के बारे में फैसला पीआईबी की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा तथा इसकी अनुमति गृह मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श के बाद मामले दर मामले आधार पर दी जाएगी।

7.2 विदेशी समाचार चैनलों/एजेंसियों को अपलिंकिंग की अनुमति समय-समय पर पूर्व-नामित टेलीपोर्ट के माध्यम से एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है, परंतु यह निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :-

(क) आवेदक प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रत्यायित होना चाहिए।

(ख) आवेदक को कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोड से सहमत होने की शपथ लेनी होगी।

(ग) आवेदक का अनुमति की अवधि हेतु प्रासंगिक टेलीपोर्ट के साथ बाध्यकारी करार होना चाहिए।

(घ) आवेदक को प्रक्रिया शुल्क के रूप में 10,000 रू. तथा प्रति वर्ष 50,000 रू. अस्थायी अनुमति शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

इस प्रकार से अपलिंक किए गए समाचारों/फुटेज का मुख्यत: विदेशी समाचार एजेंसी/चैनल द्वारा विदेशों में प्रयोग किया जाएगा तथा बिना डाऊनलिंकिंग अनुमति एवं चैनल के पंजीकरण के बिना इनका भारत में प्रसारण नहीं किया जाएगा।

8. अपराध तथा दंड

8.1 यदि किसी चैनल/टेलीपोर्ट/एसएनजी/डीएनएनजी का प्रयोग आपत्तिजनक अनाधिकृत विषय-वस्तु के प्रसारण/अपलिंकिंग करने या सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से असंगत संचार करने में किए जाने पर या उपरोक्त पैरा 5.9 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहने पर, दी गई अनुमति

को रद्द कर दिया जाएगा तथा कंपनी को अन्य लागू कानूनों के तहत दंड के प्रावधानों के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि हेतु ऐसी अनुमति प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

8.2 इन दिशानिर्देशों के पैरा 8.1 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन यदि कोई अनुमति धारक अनुमति की शर्तों तथा नियमों का उल्लंघन करता है या दिशानिर्देशों के किन्ही अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निम्नलिखित दंड के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार होगा :

8.2.1 प्रथम बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति को निरस्त करने तथा 30 दिनों की अवधि तक प्रसारण/ट्रांसमीशन पर रोक लगाने का प्रावधान होगा।

8.2.2 दूसरी बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति को निरस्त करने तथा 90 दिनों की अवधि तक प्रसारण पर रोक लगाने का प्रावधान होगा।

8.2.3 तीसरी बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

8.2.4 यदि अनुमति धारक दिये गये दंडों की निर्धारित अवधि में अनुपालना करने में विफल रहता है तो अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी तथा भविष्य में अगले पाँच वर्षों तक नए सिरे से अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

8.3 उपरोक्त पैरा 5.9 या 8.2 में बताए अनुसार अनुमति को लंबित किए जाने पर, अनुमति धारक शुल्क के भुगतान सहित अनुमति प्रदान करने के लिए किए गए करार के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करना जारी रखेगा।

8.4 अनुमति को निरस्त किए जाने पर शुल्कों को जब्त कर लिया जाएगा।

8.5 उपरोक्त सभी दंडों को अनुमति धारक को लिखित में सूचना देने के बाद ही लागू किया जाएगा।

9. अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाविधि

9.1 आवेदक कंपनी, जहाँ कहीं भी निर्धारित किया गया हो वहां प्रक्रिया शुल्क के समान राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट, जो वेतन एवं लेखा

अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो, सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ **"फार्म 1"** में निर्धारित किए गए फार्मेट के अनुसार आवेदन पत्र की तीन प्रतियों के साथ सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन कर सकती है।

9.2 आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर, यदि आवेदक पात्र पाया जाता है, तो इसके आवेदन को सुरक्षा मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय तथा सैटेलाइट प्रयोग की मंजूरी हेतु अंतरिक्ष विभाग (जहां कहीं भी आवश्यक हो) के पास भेजा जाएगा।

9.3 ज्यों ही ये मंजूरियां प्राप्त होंगी, आवेदक को प्रक्रिया शुल्क के समान राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट, जहां कहीं भी निर्धारित किया गया हो, जो वेतन एवं लेखा अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो, को जमा करवाने के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक कंपनी को उपरोक्त पैरा 1, 2 या 3 के संदर्भ में **"फार्म 2"**, जिसे अलग से निर्धारित किया जा रहा है, के फार्मेट में "अनुमति प्रदान करने का करार" शीर्षक से एक करार करना होगा।

9.4 इसके बाद, कंपनी को डब्ल्यूपीसी विंग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आवश्क लाइसेंस/मंजूरी प्राप्त करने के लिए या टीवी चैनल/किसी भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के मामले में टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के पास प्रस्ताव जमा करवाने के लिए एक औपचारिक अनुमति प्रदान की जाती है।

9.5 आवेदक को डब्ल्यूपीसी विंग के नियमों एवं मानदंडों के अनुसार हब/टेलीपोर्ट केन्द्र को नियत की गई स्पेक्ट्रम की कुल राशि हेतु समय-समय पर वार्षिक तौर से डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा निर्धारित किए गए लाइसेंस शुल्क एवं रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, हब/टेलीपोर्ट केन्द्र का मालिक निर्धारित फार्मेट में डब्ल्यूपीसी विंग को उन टीवी चैनलों का सम्पूर्ण तकनीकी तथा संचालन विवरण प्रस्तुत करेगा जिनको उसके हब/टेलीपोर्ट से अपलिंक किया जाना प्रस्तावित है। (यह खण्ड टेलीपोर्ट्स/भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंक किए गए चैनलों हेतु लागू है।)